न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— **110/2017 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री सुरेश कुमार कोठारी (वार्ड पंच) पथिक नगर—II, बस स्टेण्ड, बिजौलिया जिला भीलवाडा **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया

—अपीलार्थी —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :— अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 06/12/2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी,बिजौलिया के विरूद्ध दिनांक 23.11.2017 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 21/08/2017 को एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10/—रूपये पोस्टल ऑर्डर संख्या 40एफ 681441 प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 21/08/2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 27/11/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी[को दिनांक 06.12.2017 को सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलार्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी के द्वारा दिनांक 05.12.2017 को तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के समक्ष आवेदन दिनांक 21.08.2017 को प्रस्तुत किया जिसमें चाही गई सूचना अपीलान्ट को उनके पत्रांक/सू0अ0/2017/1456 दिनांक 12.09.2017 के द्वारा जरिये डाक प्रेषित की जा चुकी है जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की है। डाक से सूचना भिजवाई इसके सम्बन्ध में पोस्टेज रजिस्टर की प्रति भी भिजवाई। उक्त सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो चुकी है जिसके सम्बन्ध में स्वयं अपीलार्थी ने अपने अपील में भी अंकित किया है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के द्वारा अपीलान्ट के आवेदन दिनांक 21.08.2017 से जो सूचना चाही गई वह अपीलान्ट को अपने पत्रांक 1456 दिनांक 21.09.2017 से जरिये डाक से अपीलान्ट के डाक के पते पर भिजवाई गई जो समयावधि में भिजवाई गई। अपीलान्ट का कथन है कि प्रत्यर्थी के द्वारा सूचना गलत एवं भ्रमित प्रेषित की है । जबकि आपके अपील मीमों के साथ संलग्न आवेदन दिनांक 21.08.2017 में सुवालका डवलपर्स आवासीय कॉलोनी योजना के कनवर्जन सम्बन्धी सूचना चाही गई न तो पत्रावली संख्या एवं आदेश दिनांक का अंकन किया न ही आराजी नम्बर व रकबे का सम्पूर्ण आवेदन पत्र में कहीं पर भी विवरण अंकित किया है ऐसी स्थिति में सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं होने के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब उचित प्रतीत होता है। इसके अलावा आवेदन में अंकित बिन्दु संख्या 2–3–5–7–8–9–10–11–12–14 व 16 प्रश्नात्मक है । शेष बिन्दुओं की सूचना बिन्दु संख्या 01 की सूचना से सम्बन्धित है। आपके द्वारा अपने आवेदन 21.08.2017 में संपरिवर्तित की गई आराजी का नम्बर, रकबा, उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के कार्यालय की पत्रावली संख्या व आदेश दिनांक का कोई उल्लेख नहीं होने से सूचना तैयार किया जाना संभव नहीं होने के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी के द्वारा आपको सूचित कर दिया जो कि आपको प्राप्त हो गया इसके बावजूद भी आपके द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय में कोई कार्यवाही नहीं कर अपील प्रस्तुत की गई जो उचित प्रतीत नहीं है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 06/12/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय जिला कलेक्टर